रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022026-270070
CG-DL-E-12022026-270070

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 679] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 2026/माघ 22, 1947
No. 679] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2026/MAGHA 22, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2026

का.आ. 713(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी में उल्लिखित, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बने गुजरात तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, गठन करती है, अर्थात् :--

सारिणी

क्र. सं.	नाम और संपर्क ब्यौरे	पदनाम
1.	अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार, सचिवालय, ब्लॉक सं0 14/8, गांधीनगर, गुजरात ।	अध्यक्ष, पदेन ;
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) या उसका प्रतिनिधि, आरण्य भवन, सेक्टर-10ए, गांधीनगर, गुजरात ।	सदस्य, पदेन ;

3.	उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसका प्रतिनिधि, गुजरात समुद्रीय बोर्ड, सेक्टर-10ए, वायुसेना स्टेशन के सामने, गांधीनगर, गुजरात।	सदस्य, पदेन ;
4.	सदस्य सचिव, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन, सेक्टर-10ए, वायुसेना स्टेशन के सामने, गांधीनगर, गुजरात।	सदस्य, पदेन ;
5.	उद्योग आयुक्त या उसका प्रतिनिधि, उद्योग भवन, गांधीनगर, गुजरात।	सदस्य, पदेन ;
6.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसका प्रतिनिधि, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गांधीनगर, गुजरात।	सदस्य, पदेन ;
7.	मुख्य नगर योजनाकार या उसका प्रतिनिधि, गुजरात सरकार, पुराना सचिवालय, ब्लॉक सं0 14/2, गांधीनगर, गुजरात।	सदस्य, पदेन ;
8.	मछली उद्योग आयुक्त, गुजरात सरकार, पुराना सचिवालय, ब्लॉक सं0 10/3, गांधीनगर, गुजरात।	सदस्य, पदेन ;
9.	प्रबंध निदेशक और पर्यटन आयुक्त या उसका प्रतिनिधि, पर्यटन विभाग, गांधीनगर, गुजरात।	सदस्य, पदेन ;
10.	श्री डी.टी. वसावदा, ए-503, सत्यम, स्काई लाईन, टोरंट पॉवर के सामने, शोला क्रॉस रोड़, नरनपुरा, अहमदाबाद, गुजरात।	सदस्य, विशेषज्ञ ;
11.	डॉ. अंजली बहुगुणा, जे-401, इंद्रप्रस्थ, 5, प्रहलाद नगर, अहमदाबाद, गुजरात।	सदस्य, विशेषज्ञ ;
12.	डॉ. चिन्मय गोरोय, एकेडमिक ब्लॉक, 5/406, आई.आई.टी. पलाज गांधीनगर-382055,गुजरात।	सदस्य, विशेषज्ञ ;
13.	श्री देवांग एम. ठाकर, एच-3, सुगम अर्पाटमेंट, निकट वसना बस स्टैंड, वसना, अहमदाबाद -380007, गुजरात।	सदस्य, विशेषज्ञ ;
14.	निदेशक, गुजरात पारिस्थितिकी शिक्षा और अनुसंधान फाऊंडेशन, इंद्रोदा नेचर पार्क, निकट सीएच '0' सर्कल, गांधीनगर382007, गुजरात।	सदस्य, गैर शासकीय संगठन ;
15.	निदेशक (पर्यावरण), वन और पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार, गांधीनगर, गुजरात।	सदस्य सचिव।

2. प्राधिकरण का मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात में होगा।

3. प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति, इसके सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से होगी।

4. सदस्य, पदेन से भिन्न, सदस्य को, केंद्रीय सरकार द्वारा नियत मानदंडों के अनुसार भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

5. सदस्य, हितों के किसी भी विरोध से बचने के लिए, किसी ऐसी परियोजना के, जिसके लिए उन्होंने परामर्श सेवा प्रदान की है, अंकन की प्रक्रिया में, प्राधिकरण की किसी बैठक में से स्वयं को अलग कर कर लेंगे।

6. प्राधिकरण, गुजरात राज्य में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात् :--

(i) परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए परियोजना समर्थक से प्राप्त आवेदन का, यथास्थिति, संख्यांक का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना के अधीन तैयार अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना या अधिसूचना सं0 का.आ. 37(अ), तारीख 18 जनवरी, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, परीक्षण करेगा और उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट संबद्ध प्राधिकरण को ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर सिफारिश करेगा ;

(ii) उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार तटीय विनियमन जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा ;

(iii) उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन और मॉनीटर करेगा ;

(iv) उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन ऐसे निदेश जारी करेगा, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की (3 अक्तूबर, 2022 को प्रकाशित) अधिसूचना सं0 का.आ. 4650(अ), तारीख 30 सितंबर, 2022 में विनिर्दिष्ट हैं ;

(v) उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा ;

(vi) उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करेगा ;

(vii) तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को उस पर विनिर्दिष्ट सिफारिश देगा ; और

(viii) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों में, स्वप्रेरणा से या उसके समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर जांच या पुनर्विलोकन करेगा ।

7. प्राधिकरण, अपने कृत्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृत्य, जिसके अंतर्गत बैठकों में कार्यसूची, बैठकों का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठकों में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण तथा उल्लंघन के मामलों में सिफारिशें और ऐसे अतिक्रमण तथा उल्लंघन पर की गई कार्रवाई और न्यायालय मामले, जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश हैं और गुजरात सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना से संबंधित सूचना डालेगा ।

8. प्राधिकरण, छह मास में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगा ।

[फा.सं. जे-17011/30/99-आईए.।।।(पी)]

डॉ. अमनदीप गर्ग, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 11th February, 2026.

S.O. 713(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Gujarat Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, mentioned in the table below for a period of three years with effect from the date of publication of this Order in the Official Gazette, namely:—

Table

SI. No.	Name and Contact details	Designation
1.	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Forests and Environment Department, Government of Gujarat, Sachivalaya, Block No. 14/8, Gandhinagar, Gujarat.	Chairman, *ex officio*;
2.	Principal Chief Conservator of Forests (Wild Life) or his representative, Aranya Bhavan, Sector-10A, Gandhinagar, Gujarat.	Member, *ex officio*;
3.	Vice Chairman and Chief Executive Officer or his representative, Gujarat Maritime Board, Sector-10A, Opposite Air Force Station, Gandhinagar, Gujarat.	Member, *ex officio*;
4.	Member Secretary, Gujarat Pollution Control Board, Paryavaran Bhavan, Sector-10A, Opposite Air Force Station, Gandhinagar, Gujarat.	Member, *ex officio*;
5.	Industries Commissioner or his representative, Udyog Bhavan, Gandhinagar, Gujarat.	Member, *ex officio*;
6.	Chief Executive Officer or his representative, Gujarat State Disaster Management Authority, Gandhinagar, Gujarat.	Member, *ex officio*;
7.	Chief Town Planner or his representative, Government of Gujarat, Old Sachivalaya, Block No. 14/2, Gandhinagar, Gujarat	Member, *ex officio*;
8.	Commissioner of Fisheries, Government of Gujarat, Old Sachivalaya, Block No. 10/3, Gandhinagar, Gujarat.	Member, *ex officio*;
9.	Managing Director and Commissioner of Tourism or his representative, Tourism Department, Gandhinagar, Gujarat.	Member, *ex officio*;
10.	Shri. D.T . Vasavada, A-503, Satyam, Sky line, Opp. Torrent Power, Sola Cross Road, Naranpura, Ahmedabad, Gujarat.	Member, *expert;*
11.	Dr. Anjali Bahuguna, J-401, Indraprasth 5, Prahlad Nagar, Ahmedabad, Gujarat.	Member, e*xpert*;
12.	Dr. Chinmay Ghoroi, Academic Block 5/406, IIT Gandhinagar, Palaj Gandhinagar-382055, Gujarat.	Member, e*xpert;*
13.	Shri. Devang M. Thaker, H-3, Sugam, Apartment, Nr. Vasna Bus Stand, Vasna, Ahmedabad - 380007, Gujarat.	Member, e*xpert*;
14.	Director, Gujarat Ecological Education and Research Foundation, Indroda Nature Park, Near CH '0' circle, Gandhinagar-382007, Gujarat.	Member, Non-Government Organization;
15.	The Director (Environment), Forest and Environment Department, Government of Gujarat, Gandhinagar, Gujarat	Member Secretary.

2. The Headquarter of the Authority shall be at Gandhinagar, Gujarat.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one- third of the total number of its Members.

4. The member, other than Member *ex* officio, shall be paid allowances as per the norms of the Central Government.

5. In order to avoid any conflict of interest, the Members shall recuse themselves from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered any consultancy service.

6. The Authority shall, for the purpose of protecting and improving the quality of the coastal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Gujarat, take the following measures, namely: —

(i) examine the proposal received from the project proponent for approval of project proposal, in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan prepared under the notification of the Government of India vide number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 or the notification number G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019 (hereinafter referred to as the said notification), as the case may be, and make recommendation for approval of project proposal to the authority concerned, as specified in the said notification, within a period of sixty days from the date of receipt of such proposals;

(ii) regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notification;

(iii) enforce and monitor the implementation of provisions of the said notification;

(iv) issue directions under section 5 of the said Act as specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published vide number S.O. 4650(E), dated the 30th September, 2022 (published on 03rd October, 2022);

(v) exercise powers under section 10 of the said Act;

(vi) file complaint under section 19 of the said Act;

(vii) examine the proposals received from the State Government for modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations to the National Coastal Zone Management Authority under the said notification; and

(viii) inquire and review cases of failure of compliance or contravention of the said Act or rules made thereunder or the said notification, *suo-moto* or on the basis of a complaint made by any person before it.

7. The Authority shall, for the purposes of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meeting, minutes of the meetings, decision taken in the meeting, recommendation for matters on failure of compliance or contravention of the said notification and action taken on such failure or contravention and court matters including the order of the court, and the approved Coastal Zone Management Plan of the Government of Gujarat.

8. The Authority shall furnish report of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F. No. J-17011/30/99-IA.III(P)]

Dr. AMANDEEP GARG, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.12 14:36:00 +05'30'